

## न्यायालय अपर समाहर्ता, पटना

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या-15/2017-18  
मुकेश कुमार राय बनाम मे० दीना महावीर री-रौलिंग प्रा० लि०  
Under Section 8 of the Bihar Land Mutation Act, 2011

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	<p style="text-align: center;"><b>आंशिक संशोधित आदेश</b></p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक 21/02/2018 को आवेदन-पत्र दाखिल किया गया। जिसका अवलोकन किया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने अपने आवेदन-पत्र द्वारा अनुरोध किया है कि उक्त वाद में इस न्यायालय से दिनांक 13.02.2018 को पारित आदेश में आंशिक टंकण भूल हो गया है, जो निम्नवत है :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. पृष्ठ सं० 03 पर दिनांक 13.05.2014 के स्थान 03.05.2017 होना चाहिए।</li> <li>2. पृष्ठ सं० 04 पर 494/2014 के स्थान पर 449/2014 होना चाहिए।</li> </ol> <p>आवेदक के आवेदन को अवलोकन किया एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजात के आधार पर सिविल-प्रक्रिया संहिता-1908 के धारा-152 एवं 153 में प्रदत्त शक्ति के आलोक में टंकण भूल को संशोधित किया जाता है।</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. पृष्ठ सं० 03 पर दिनांक 13.05.2014 के स्थान 03.05.2017 पढ़ा जाय।</li> <li>2. पृष्ठ सं० 04 पर 494/2014 के स्थान पर 449/2014 पढ़ा जाय।</li> </ol> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <p style="text-align: center;">(वज्रैन उद्दीन अंसारी) अपर समाहर्ता, पटना</p> <p style="text-align: center;">(वज्रैन उद्दीन अंसारी) अपर समाहर्ता, पटना</p>	<p>दिनांक 193 1/2018 दिनांक 28/02/18 मुकेश कुमार राय उप समाहर्ता पटना दिनांक 28/02/2018 पटना न्यायालय कागजात के आधार पर = 151 दिनांक 28 के अंतर्गत पुनरीक्षण पत्रिका अपर समाहर्ता 12/03/2018 28/02/18</p>